न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/19/2025	2025/89	10.02.2025	19.02.2025

1– रामदयाल पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी ग्राम पनवाड हरियाणा।

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 319/2023 धारा 91 एल.आर.एक्ट अपीलान्ट के विरूद्व पारित पारित किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–

01. श्री अशोक चौधरी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 319/2023 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट के विरूद्व सम्वत 2080 आराजी खसरा न0 30 रकबा 25.42 है0 किस्म चारागाह में से 1.5 है0 भूमि पर वाके ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा पर गैहू/सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर फसल नीलामी/बैदखली/शास्ती कायम कर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 30 रकबा 24.42 है0 वाके ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है, आराजी राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज रही है, तथा मौके पर भी गैरमुमकिन नदी है। वर्णित आराजी में से रकबा 1.5 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत तहत अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जारी नोटिस की तामील मिन अपीलान्ट को नही हुई है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजी में से कभी भी कब्जा नही किया गया है तथा न ही मौके पर अपीलान्ट द्वारा कोई फसल काश्त की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा विधि विरूद्व अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है, जिस पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है, उक्त जारी नोटिस की तामील मिन अपीलान्ट को नही हुई अर्थात अपीलान्ट को बिना सुने ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ग्राम पनवाड तहसील बावल का रहने वाला है, तथा मिन अपीलान्ट ने भगोला जाट में आराजी खसरा न0 5/4 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का 1/4 भाग जरिये बैयनामा दिनाक 12.10.2000 को खरीद किया गया है, तथा आराजी खसरा न0 5/4 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का 1/4 भाग में से 1/3 भाग जरिये बैयनामा दिनाक 03.06.1999 में खरीद किया हुआ है, जो आराजी गैरमुमकिन नदी के साथ लगती हुयी है। मिन अपीलान्ट अपनी खरीद शुदा आराजी पर ही काबिज है। अपीलान्ट द्वारा कभी भी गैरमुमकिन नदी पर अतिक्रमण नही किया गया है। तथा न ही पूर्व में कोई नोटिस जारी किया गया है। तथा किसी दिगर

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

व्यक्ति द्वारा गैरमुमकिन नदी की भूमि पर कब्जा कर फसल काश्त कर रखी हो तो उसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को नही है। पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्व अतिक्रमण करने की रिपोर्ट दिगर लोगो से साजबाज होकर तहत अदलत के समक्ष पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 19.02.2024 हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन किया गया नकल प्राप्त होते ही बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, दिनाक 24.01.2024 से दिनाक 19.02.2024 तक का समम जानकारी के अभाव में गुजरा है, जिसे कन्डोन किये जाने हेतु किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पृथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 319/2023 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 319/2023 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत सम्वत 2080 आराजी खसरा न0 30 रकबा 25.42 है0 किस्म चारागाह में से 1.5 है0 भूमि पर वाके ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा पर गैहू/!सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर फसल नीलामी/बैदखली/शास्ती कायम कर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया के विरूद्व दिनाक 26.02.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह 2 दिन पश्चात पेश की गयी है। जो विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 19.02.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 30 रकबा 24.42 है0 वाके ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर आराजी राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज रही है, तथा मौके पर भी गैरमुमकिन नदी है। वर्णित आराजी में से रकबा 1.5 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत तहत अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जारी नोटिस की तामील मिन अपीलान्ट को नही हुई है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजी में से कभी भी कब्जा नही किया गया है तथा न ही मौके पर अपीलान्ट द्वारा कोई फसल काश्त की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा विधि विरूद्व अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है, जिस पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है, उक्त जारी नोटिस की तामील मिन अपीलान्ट को नही हुई अर्थात अपीलान्ट को बिना सुने ही एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ग्राम पनवाड तहसील बावल का रहने वाला है, तथा मिन अपीलान्ट ने भगोला जाट में आराजी खसरा न0 5/4 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का 1/4 भाग जरिये बैयनामा दिनाक 12.10.2000 को खरीद किया गया है, तथा आराजी खसरा न0 5/4 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का 1/4 भाग में से 1/3 भाग जरिये बैयनामा दिनाक 03.06.1999 में खरीद किया हुआ है, जो आराजी गैरमुमकिन नदी के साथ लगती हुयी है। मिन अपीलान्ट अपनी खरीद शुदा आराजी पर ही काबिज है। अपीलान्ट द्वारा कभी भी गैरमुमकिन नदी पर अतिक्रमण नही किया गया है। तथा न ही पूर्व में कोई नोटिस जारी किया गया है। तथा किसी दिगर व्यक्ति द्वारा गैरमुमकिन नदी की भूमि पर कब्जा कर फसल काश्त कर रखी हो तो उसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को नही है। तहत अदालत की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का शीलगांव द्वारा दिनाक 18.12.2023 को अतिक्रमी रामदयाल पुत्र नेतराम के विरूद्व सम्वत 2080 में वाके ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर की आराजी

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

खसरा न0 30 रकबा 25.42 है0 में से रकबा 1.5 है0 किस्म चारागाह में गैहू की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिकमण किये जाने पर पेश किया गया जो प्रकरण दर्ज कर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अतिकमी दिनाक 09.01.2024 को तहत अदालत के समक्ष पेश हुआ जवाब हेतु पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनाक 19.01.2024 में नियत की गयी। नियत तिथि पर उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण पश्चातवर्ती अतिकमण पाये जाने पर बयान पटवारी लिये गये। पटवारी बयान में उल्लेखित किया गया है, कि अतिकमी आदतन अतिकमी है, जिसके आधार पर अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण पश्चातवर्ती अतिकमण सिद्व होता है, प्रकरण में अतिकमी द्वारा अवसर दिये जाने पर भी जवाब/साक्ष्य पेश नही किया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी पर अतिकमण किये जाने पर अतिकमी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अतिकमी के विरूद्व नियमानुसार विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर फसल नीलामी/बैदखली/शास्ती कायम कर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील एक शपथ–पत्र इस आशय का पेश कर अवगत कराया है, कि आराजी खसरा न0 30 रकबा 24.42 है0 वाके ग्राम भगोला जाट तहसील मुण्डावर पर किये गये अतिकमण को हटा लिया गया है, अब कोई अतिकमण नही किया हुआ है। साथ ही भविष्य में भी उक्त आराजी पर कोई अतिकमण/फसल काश्त नही करूगा। शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास करते हुऐ अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष आदेश दिनाक 24.01.2024 यथावत रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)